

भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ल-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

सं. सीप्ल - सेज/श्रम /426/13-14

दिनांक : 11 मई, 2015

परिपत्र सं. 45 /2015 -16

विषय : वार्षिक विवरणियों का प्रेषण ।


जैसाकि सीप्ल-सेज के सभी यूनिट जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने 1) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 2) बाल श्रम (निषेध तथा विनियम) अधिनियम ,1986 3) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 4) मजदूरी भुगतान अधिनियम,1936 5) संविदा श्रम (विनियम तथा उन्मूलन) अधिनियम,1970 6) महाराष्ट्र कामगार न्यूनतम मकान किराया भत्ता अधिनियम, 1983 के अधीन विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र को कतिपय शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं ।

इस संबंध में, आपको यह सूचित करना है कि सेज यूनिटों को निम्नलिखित सांविधिक विवरणियां प्रेषित करनी हैं :-

1. बोनस भुगतान अधिनियम,1965 (नियम 5 फार्म ' डी ')
2. प्रसूति हितलाभ अधिनियम,1961 (नियम 15 फार्म II)

निर्धारित फॉर्मेट की प्रतिलिपियां तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न हैं ।

आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2014 -15 की उपर्युक्त विवरणियां 31 मई ,2015 तक अवश्य भिजवाएं । जिन यूनिटों ने उपर्युक्त विवरणियां पहले ही भिजवा दी हैं, उनके लिए इन्हें पुनः भिजवाना आवश्यक नहीं है ।


(पी . एस. रामन)
संयुक्त विकास आयुक्त ,
सीप्ल - सेज

अनुलग्नक - यथोपरि

प्रति : - विकास आयुक्त, सीप्ल - सेज के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले सभी सेज यूनिट ।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

बोनस भुगतान नियमावली, 1975

(फार्म 'डी')

(कृपया नियम 5 देखें)

वार्षिक विवरणी :----- को समाप्त लेखाकरण वर्ष के दौरान कर्मचारियों को किया गया
बोनस का भुगतान ।

1. स्थापना का नाम तथा इसका पूरा डाक पता :
2. उद्योग की प्रकृति :
3. नियोक्ता का नाम :
4. कुल कर्मचारियों की संख्या :
5. बोनस भुगतान से लाभन्वित कर्मचारियों की संख्या :

1. जी एस आर 1147 दिनांक 23.8.1979 द्वारा अंतवशित (8.9.1979 से प्रभावी)
2. एस ओ 251 दिनांक 7.1.1984 द्वारा (21.1.1984 से प्रभावी)

| | | |
|--|---|--|
| बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 10 अथवा 11 के अधीन बोनस के रूप में भुगतान योग्य कुल राशि जैसी भी स्थिति हो | औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन यदि कोई समझौता हुआ हो ,तो तारीख के साथ | भुगतान के लिए घोषित बोनस का प्रतिशत |
| (1) | (2) | (3) |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|------------|
| वास्तव में भुगतान किए गए बोनस की कुलराशि | जिस तारीख को भुगतान किया गया | क्या सभी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया गया, यदि नहीं, तो भुगतान न किए जाने का कारण | टिप्पणियां |
| (4) | (5) | (6) | (7) |

नियोक्ता अथवा उसके एजेंट के हस्ताक्षर

प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961

महाराष्ट्र प्रसूति हितलाभ नियमावली, 1965

फॉर्म II

(कृपया नियम 15 देखें)

प्रत्येक 15 जनवरी को अथवा उसके पूर्व समक्ष प्राधिकारी को यह विवरणी प्रेषित की जानी है ।

1. फैक्टरी का नाम
2. अधिभोक्ता का नाम
3. प्रबंधक का नाम
4. 31 दिसंबर 19 को समाप्त वर्ष
5. प्रतिदिन नियोजित की जाने वाली महिलाओं की औसत संख्या
6. प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अधीन प्रसूति हितलाभ का दावा करने वाली महिलाओं की संख्या
7. ऐसी महिलाओं की संख्या जिन्हें वास्तव में जन्म के लिए प्रसूति हितलाभ का भुगतान किया गया
8. प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961 की धारा 7 के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्रसूति हितलाभ का भुगतान किया गया
9. प्रसूति हितलाभ के लिए भुगतान की गई कुल राशि
10. भुगतान की गई मेडिकल बोनस की राशि

नियोक्ता के हस्ताक्षर